22.5.19

वादीया ने स्वयं हाजिर आकर जरिये अभिभाषक इस आशय का प्र. पत्र पेश किया कि हमारा राजीनामा हो गया वाद पत्र के आगे कार्यवाही नहीं चाहती हूं। पत्रावली पेशी में ली गई। वादीया का स्वैच्छिक प्रस्तुत प्र. पत्र स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र withdraw की स्वीकृति के साथ वर्तमान स्टेज पर ही खारिज किया जाता है इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Form no 111

(नियम 133)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
प्रमाणित प्रतिलिपि...
प. स. ...301/18...अनवानि......

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ — चन्द्रकला/सुशील कुमार

अनवान :– चन्द्रकला बनाम सुशील कुमार आदि

धारा :– 212 आर.टी.ए. विविध राजस्व संख्या..300..../2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
2018	यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा पेश किया। प्रार्थीया अभिभाषक की प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक नम्बर–21 ए0जी0 के खाता संख्या–37/69 में तादादी 5972 हैक्टेयर की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी 28.09.2018 तक बनाये रखे एव अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन इस न्यायालय मे उपस्थित होकर बजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावेगा। बाद गुजरने मियाद कोई अज्र नहीं सुना जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.09.2018 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner